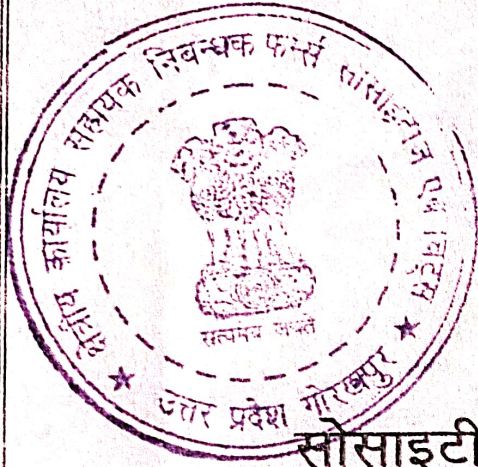


संख्या - 2055

दिनांक 4/10/24



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीनीकरण संख्या-372/2024-25

पत्रावली संख्या जी-33173

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शैल शिक्षा समिति, महादेव झारखण्डी टुकड़ा न0-3 सैनिक कुन्ज नन्दानगर, पो0- कुड़ाघाट, जनपद- गोरखपुर, उ0प्र0, को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या-679/2001-2002 दिनांक 22/12/2001 को दिनांक 22/12/2021 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

3750.00 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

जारी करने का दिनांक-04.10.2024


सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश
04/10/24

नोट-यह नवीनीकरण प्रमाण पत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधि पूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में मान्य हैं। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्ति के किसी दावे, अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

सहायक पब्लिशर
कांग्रेस प्रोपेगण्डा विभाग
नया दिल्ली

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES



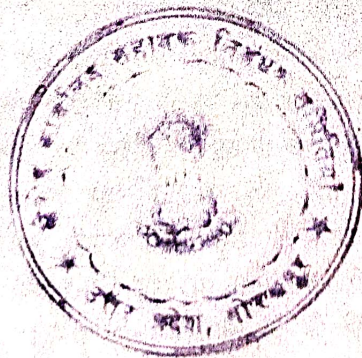
भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10AA 408502

श्रीलक्ष्मी समिति
गोरखपुरी दुकान नं. 63 सीनिपकुन्ज नन्दनगर पो. - कुदाधार
गोरखपुरी जिला नं. 33/23
निपमावली



सहायक रजिस्ट्रार
गोरखपुरी तथा पिटुवा
गोरखपुर
01/11/07

स्मृति-पत्र

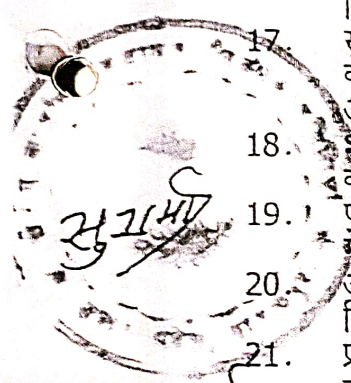
1. संस्था का नाम :: शैल शिक्षा समिति।
2. संस्था का पूरा पता :: झारखण्डी टुकड़ा नं०-3 सैनिक कुन्ज नन्दानगर
पो० कूड़ाघाट जनपद गोरखपुर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य-

1. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, की शिक्षा प्राईमरी जू० हाई० स्कूल, हाईस्कूल, इण्टर, एवं उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध का करना, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में कन्या विद्यालयों की स्थापना करना एवं अविकसित विद्यालयों की प्रगति के लिए प्रयास करना।
2. शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को साचरित्र नागरिक बनाना।
3. समाज के अल्पसंख्यक, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की बालक/बालिकाओं हेतु प्रशिक्षण जैसे- कम्प्यूटर, हाईवेयर, साफ्टवेयर, डी० टी० पी०, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, फलसंरक्षण रेक्सीन कला, गृह सज्जा, आचार मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मसाला, ब्यूटी पार्लर की जानकारी देना।
4. खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प कला, चमड़ा उद्योग, रेक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना, तथा समाज के निर्वल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना।
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वजल धारा पेयजल, नाली, सिंवर की निःशुल्क व्यवस्था करना व मलिन बस्तियों की सफाई के कार्य में सहयोग करना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार निःशुल्क करना।
6. समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करना। नाट्यमंच व चलचित्र द्वारा लोगों को शिक्षा के बारे में निःशुल्क ज्ञान करवाना।
7. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वाशिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना।
8. संस्थान के प्राकृतिक शिक्षा की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से छात्र जीविका निर्वाह की समस्या का स्वतः समाधान कर सकें।
9. शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों हेतु कल्याणकारी कार्यों को सम्पादन करना तथा इन लोगों के रहने के लिए निःशुल्क आश्रम बनवाना,
10. बालश्रम विद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण की स्थापना करना।
11. विकलांग बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करना।
12. संस्था के माध्यम से सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित, जनजाति, अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा/तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना।

सुश्री
स्वीटन शर्मा
दीपक शर्मा
Seema Rai
Lubh Rai
लेखक राय
K. P. Rai

झारखण्ड विद्यापीठ
गोरखपुर

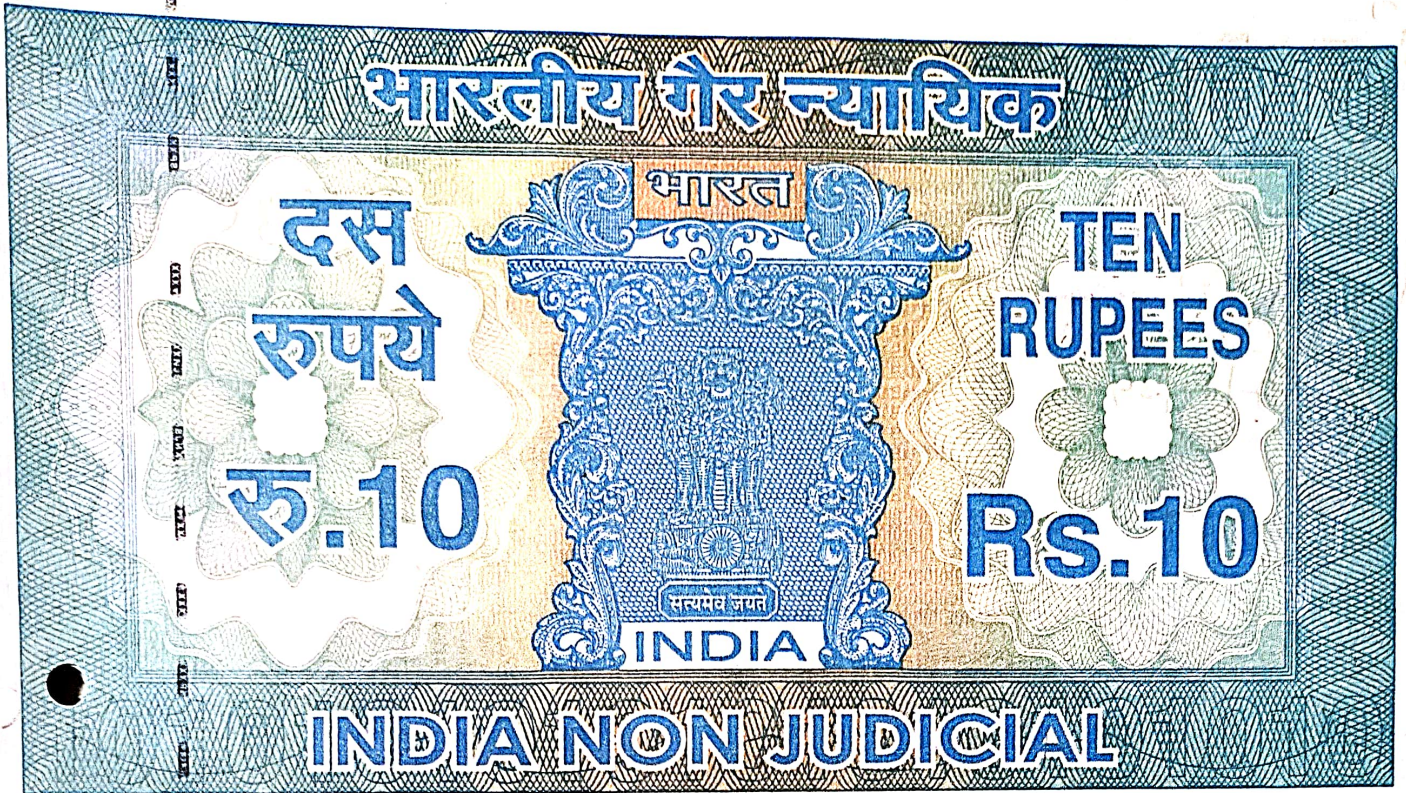
13. कृषि विकास हेतु कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को प्रचार प्रसार करना, आधुनिकतम व विकसित तरीके से कृषि, दुग्ध विकास के क्षेत्र में जानकारी देना।
14. औषधि कार्यों के लिए जड़ी-बूटियों, जैविक खेती के बारे में लोगों को जानकारी देना, व जैविक खाद विस्तार कार्यक्रम के द्वारा जैविक खेती एवं ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, जेटोफा के पौधों से डीजल बनाने के बारे में लोगों को जानकारी देना व जेटोफा के पौधों की खेती करना।
15. परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गांवों में व्यापक स्तर पर निःशुल्क संचालित करना टीकाकरण, जैसे पल्स पोलियो, हेपेटाइटिस, फाइलेरिया, मलेरिया क्षय रोग एड्स कैसर टी0वी0 कुछ क्षेत्रिय विमारियों के रोकथाम के लिए प्रचार व प्रसार करना व जानकारी देना तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण करना व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करना। तथा मानव प्रसार निःशुल्क करना, व रेडक्रॉस सोसायटी की योजनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन-साधारण को जानकारी मुहैया कराना।
16. कृषि कार्य हेतु विशेषकर तिलहन व दलहन बोर्ड के कार्यों व कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार व प्रसार करना।
17. समाज के लिए व्याप्त छुआछूत, ऊंच-नीच तथा जाति धर्म की विषमताकी निर्मूल करने के लिए व्यापक प्रचार व प्रसार करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना।
18. शराब व मादक पदार्थों का नशा करने वालों की लत छुड़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करना और उन कार्यक्रमों को सफल बनाना।
19. पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना एवं इस पर शोध कार्य करना।
20. अस्वस्थ वातावरण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
21. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संस्था के माध्यम से उच्च तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना।
22. जल संरक्षण, जलसंचयन, जलचक्र व जल संसाधन तथा स्वजलधारा से संबंधित सभी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। एवं जल प्रदूषण के खिलाफ गोष्ठी, शोध केन्द्रों की स्थापना करना।
23. नदियों में गन्दे नालों तथा कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसके लिए सम्बन्धित विभागों की अनुमति से करना। छोटे पोखरे एवं तालाबों के सुन्दरीकरण के लिए कार्य करना।
24. दैवी आपदा बाढ़ भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग जैसी विभिन्न बीमारियों, महामारी व विभिन्न कठिनाईयों में शासन व प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण की हर तरह से सेवा करना।
25. संस्था के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना करना।
26. जानवरों के चारागाह हेतु सरकार की अनुमति से नियमानुसार भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित करना ताकि जानवरों के प्राकृतिक रूप से चारागाह की व्यवस्था की जा सके।
27. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेलमंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों तथा उ0प्र0 सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों व सरकारों और विदेशी संगठनों द्वारा एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं की जानकारी देना।



रवीन्द्र कुमार
दीपक शर्मा
Seema Rai
Anjali Rai
बालेन्द्र शर्मा
K. P. Rai

[Handwritten signatures and marks]

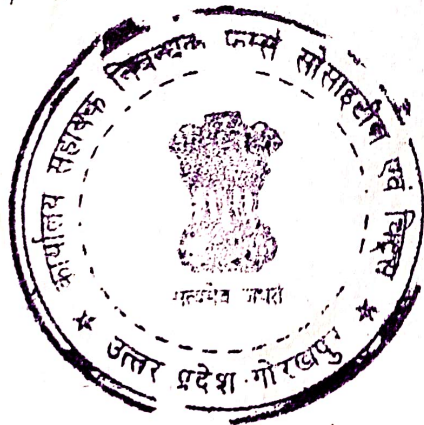
- रवीरामनरामा 38.
 सुधा शर्मा
 Soma Rai 39.
 K. P. Rai 40.
 कालेश्वर राय
 K. P. Rai 41.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

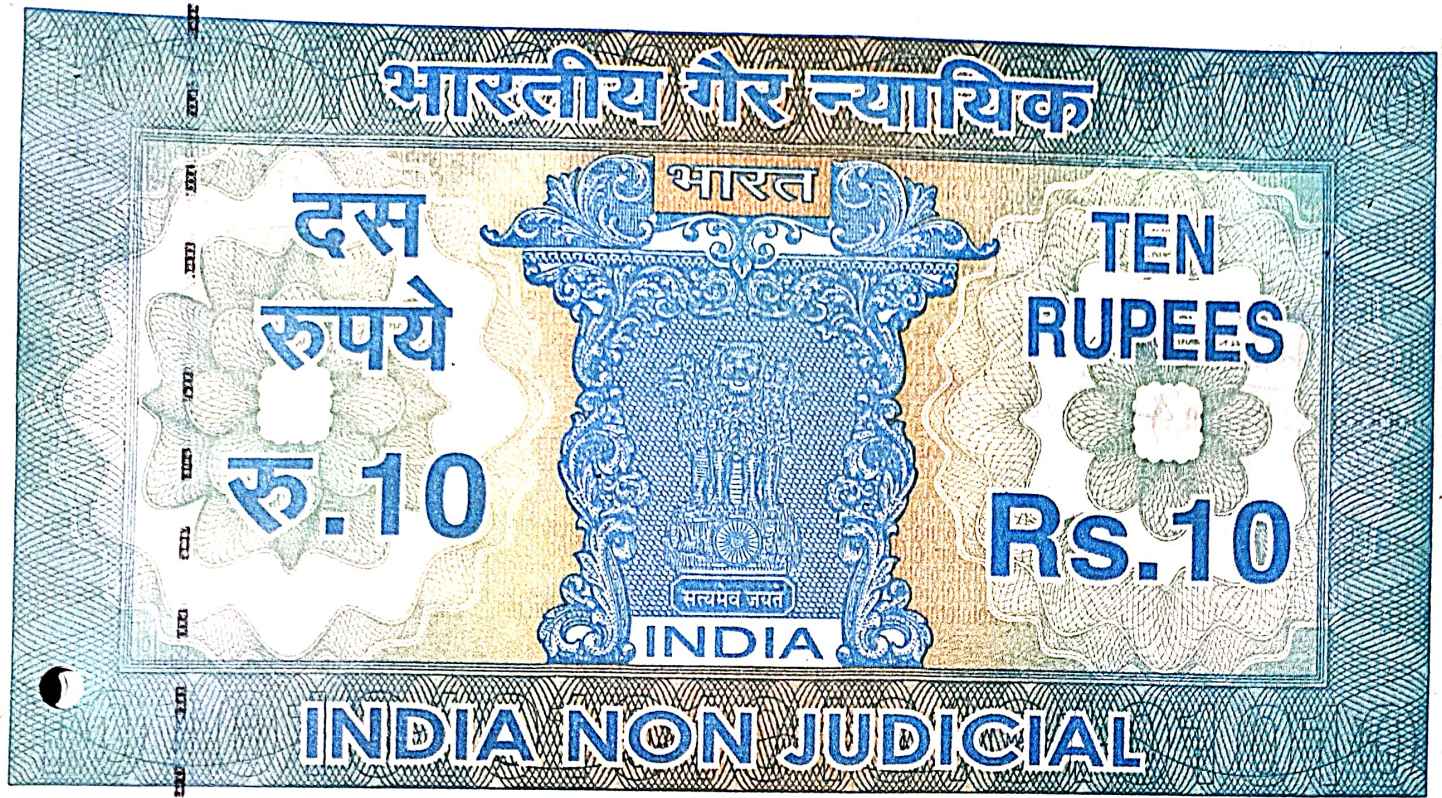
49AE 213367

बनारस स्टाम्प पेपर श्रीलक्ष्मी समाधि
जिला गोरखपुर फाइल नं० जी-33173
प्रधान समाधि के साथ संलग्न है।
की सूची वर्ष 2024-25



यह प्रपत्र फाइल पर संलग्न है।
यह प्रपत्र पंजीकृत नहीं है।

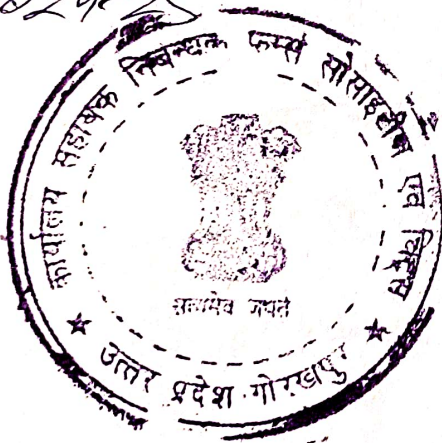
५५
कृते सहायक रजिस्ट्रार
कर्म सोसाइटीज तथा विद्वत्
28/प्र० गोरखपुर
21/10/24



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AE 213366

जनरल स्टाम्प पेपर... श्री कृष्ण चिन्ता सुमित्री
जिला गोरखपुर जिला नं०... जी-33173
खो. 0. सी. को. साय चलगन है।
मु. की. व. 2024-25



कह प्रपत्र पत्रावली पर संलग्न है

यह अभिलेख पत्रावली पर संलग्न एवं
अपंजीकृत है। इसकी वैधानिकता का
परीक्षण नहीं किया गया है, अतः यह
अभिलेख वैधानिक रूप में स्वीकार्य नहीं है

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिद्रत
गोरखपुर
21/10/24

शैल शिक्षा समिति महादेव झारखण्डी टुकडा न0-3 सैनिक कुन्ज नन्दानगर पो0
कूडाघाट जनपद गोरखपुर उ0प्र0 की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष.....2024-2025

क.सं.	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	दिपक शर्मा पुत्र स्व0 सुरेश शर्मा	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर	अध्यक्ष	व्यापार
2	श्रीमती रूबी राय पत्नी श्री दिपक शर्मा	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर	उपाध्यक्ष	नौकरी
3	श्री रेवती रमन शर्मा पुत्र स्व0 सुरेश शर्मा	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर	प्रबन्धक/ सचिव	व्यापार
4	श्रीमती सीमा राय पत्नी श्री रेवती रमन शर्मा	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर	संयोजक	नौकरी
5	श्री वेदान्त शर्मा पुत्र श्री दीपक शर्मा	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर	कोषाध्यक्ष	नौकरी
6	श्री सतीश चन्द्र पुत्र श्री मूल चन्द्र	नन्दानगर पो0 कूडाघाट जनपद गोरखपुर	सदस्य	व्यवसाय
7	डा0 अनन्तिका शर्मा पुत्री श्री रेवती रमन शर्मा	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर	सदस्य	व्यवसाय

रेवती रमन शर्मा

दीपक शर्मा

(Signature)

(Signature)

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

कृते सहायक रजिस्ट्रार

कर्म सोमईटीज तथा विद्वत्

श्री/प्र0 गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता...*(Signature)*.....

मिलान कर्ता...21/10/24

शैल शिक्षा समिति महादेव झारखण्डी टुकडा न0-3 सैनिक कुन्ज नन्दानगर पो0
कूडाघाट जनपद गोरखपुर उ0प्र0 की साधारण सभा की सूची वर्ष.....2024-2025

क.सं. नाम/पिता का नाम

पता

1.	दिपक शर्मा पुत्र स्व0 सुरेश शर्मा	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर
2.	श्रीमती रूबी राय पत्नी श्री दिपक शर्मा	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर
3.	श्री रेवती रमन शर्मा पुत्र स्व0 सुरेश शर्मा	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर
4.	श्रीमती सीमा राय पत्नी श्री रेवती रमण शर्मा	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर
5.	श्री वेदान्त शर्मा पुत्र श्री दीपक शर्मा	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर
6.	श्री सतीश चन्द्र पुत्र श्री मूल चन्द्र	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर
7.	डा0 अनन्तिका शर्मा पुत्री श्री रेवती रमन शर्मा	बी/86 सैनिक बिहार नन्दानगर जनपद गोरखपुर
8.	श्री अरुण सिंह पुत्र श्री शिवनराम	नन्दानगर पो0 कूडाघाट गोरखपुर
9.	श्री सोहन साहनी पुत्र श्री जगनारायन साहनी	नन्दानगर जनपद गोरखपुर
10.	श्री भानु प्रताप शाह पुत्र स्व0 विशुनदेव शाह	सैनिक बिहार गोरखपुर
11.	श्रीमती लाची देवी श्री जगनारयन प्रसाद	सैनिक बिहार गोरखपुर

यह अभिलेख पत्रावली पर संलग्न एवं
प्रमाणित है। इसकी वैधानिकता का
अभिलेख नहीं किया गया है, अतः यह
अभिलेख वैधानिक रूप में स्वीकार्य नहीं है

यह प्रपत्र पत्रावली पर संलग्न है

रेवती रमन शर्मा
दीपक शर्मा

दिनांक

प्रतिलिपि प्रमाणित

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोमईटीज तथा विद्वत्
गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता...
मिलान कर्ता...

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम :: शैल शिक्षा समिति
2. संस्था का पूरा पता :: झारखण्डी टुकड़ा : सैनिक कुन्ज नन्दानगर
पो0 कूड़ाघाट जगमोरी गोरखपुर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग

अ. आजीवन सदस्य-

जो व्यक्ति संस्था को एक बार में 1001/- रुपये नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

ब- विशिष्ट सदस्य-

समिति के प्रति हितेषी भाव रखने वाला सम्मानित व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर वार्षिक सहायता देने वाला व्यक्ति संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा।

स. साधारण सदस्य- जो व्यक्ति संस्था को 101/- रुपये वार्षिक देगा वो संस्था का साधारण सदस्य माना जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति-

1. मृत्यु होने पर
 2. पागल अथवा दिवालिया होने पर।
 3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
 4. त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव रखने पर पारित होने पर
 5. कमेटी द्वारा पारित नियमों का पालन न करने पर।
 6. दण्डित होने पर।
 7. सदस्यता शुल्क न देने पर।
 8. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
 9. पद का दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता करने पर।
- ब-प्रबन्धकारिणी समिति

6. संस्था के अंग-अ- साधारण सभा
7. साधारण सभा-

क- गठन- सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

ख- बैठक- साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती हैं

ग- सूचना अवधि-

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जायेगी।

28/11/21
दीपक शर्मा
Seema Rai.

(2)

- द- गणपूर्ति-साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होगा ।
य- वार्षिक अधिवेशन की तिथि-
संस्था का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में एक बार आयोजित होगा ।
र- साधारण सभा के कर्तव्य-
1. प्रबन्ध समिति का गठन करना ।
2. प्रबन्ध समिति द्वारा किये गया गत वर्षों का आय-व्यय स्वीकृत करना तथा आगामी वर्ष के लिए व्यय की संस्तुति प्रदान करना ।
4. आय-व्यय निरीक्षण के लिए निरीक्षक की नियुक्ति करना ।
5. संस्था के पूर्ण अभिलेखों पर अधिकार रखना ।
6. सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकृत करना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना ।

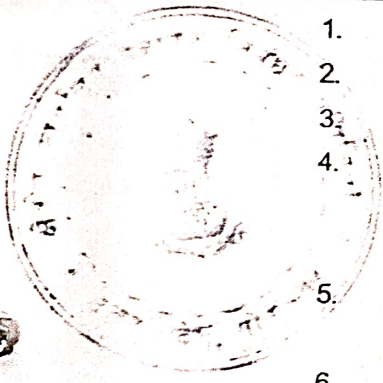
8. प्रबन्धकारिणी समिति

- क- गठन- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 5 पदाधिकारी व 2 सदस्य होंगे और कुल की संख्या 7 की होगी ।
ख- बैठक- प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक 24 घंटे पूर्व बुलाई जा सकती है ।
ग- सूचना अवधि- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।
घ- गणपूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पर होगा ।
ङ- रिक्त स्थानों की पूर्ति- रिक्त स्थान की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर की जायेगी ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य-

1. संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना ।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना ।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय सरकारों, गैरसरकारी संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था, व्यक्ति/व्यक्तियों से चन्दा, दान, उपहार ऋण व अनुदान प्राप्त करना ।
5. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव करके उद्देश्यों में परिवर्तन व संशोधन किया जा सकता है ।
6. आजीवन सदस्यों में से ही पदाधिकारियों का चुनाव किया जायेगा ।

कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 वर्ष का होगा ।



[Handwritten signature and official stamp]

[Handwritten signature]
दीपक शर्मा
Seema Rai

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य-

- अध्यक्ष- 1. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों को बुलाना एवं अनुगोदन करना।
3. बैठकों में शांति व्यवस्था कायम करना।
4. किसी विवादाग्रस्त मामले में अपना निर्णायक मत देना।
उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों को करना।
प्रबन्धक/सचिव-

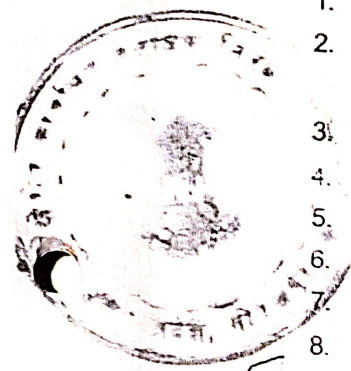
1. संस्था में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
2. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से चन्दा दान, ऋण अनुदान प्राप्त करना।
3. अनुशासन बनाये रखने का प्रयास करना।
4. सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यों का आयोजन करवाना।
5. समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों को सुरक्षित रखना।
6. संस्था से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों को अपनी देख रेख में करवाना।
7. आवश्यकता पड़ने पर संस्था के कार्यों/लेखों की जाँच करना।
8. संस्था की और से अदालती कार्यवाही करना।
9. वार्षिक बजट तैयार करना।
10. संस्था की तरक्की के लिए हर सम्भव प्रयास करना।
11. सदस्यों द्वारा गलत कार्य करने पर उन्हें दण्डित करना।
12. खर्च के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
13. संस्था के समस्त कार्यों को अपनी देखरेख में करवाना।
14. सदस्यों से चन्दा लेना व उसकी रसीद काटकर देने का अधिकार प्रबन्धक/सचिव का होगा प्रबन्धक/सचिव के द्वारा जारी की गयी रसीद ही मान्य होगी।
15. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति निष्कासन एवं निलम्बन करना।
16. शासन एवं प्रशासन के कार्यों में सहयोग करना एवं उनसे सहयोग लेना।
17. सभी बैठकों की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।
18. बैठकों का दिनांक स्थान व समय निश्चित करना।
19. संस्था को प्राप्त होने वाली चल-अचल सम्पत्ति, वसीयतनामा, पट्टा दस्तावेज आदि को वैधानिक रूप से लिखना एवं लिखाना।
20. संस्था के वाह्य तथा अन्तरिक सभी प्रकार की व्यवस्था को सम्भालना।
21. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सहायता देकर ऋण या उधार प्राप्त करना।

संयोजक-

1. पदाधिकारियों से तालमेल रखना तथा मतभेदों को दूर करना।
2. किसी तरह का समझौता आदि करना।
3. प्रबन्धकारिणी सभा तथा साधारण सभा में भाग लेकर उचित राय देना।
4. समय पर संस्था के हित में प्रभावशाली कदम उठाना।

कोषाध्यक्ष-

1. समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों को सुरक्षित रखा।
2. संस्था के लिए धन एकत्रित करना।
3. प्रबन्धक/सचिव के आदेश पर संस्था के कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो0 आ0 में संस्था के नाम से जमा करवाना।
4. प्रबन्धक/मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।



29/2/14
Seema Rai

11. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की बैठक में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किया जावेगा।

12. संस्था का कोष-

संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो0 आ0 में संस्था के नाम से खोला जायेगा जिसके संचालन के लिए प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

13. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण [आडिट]

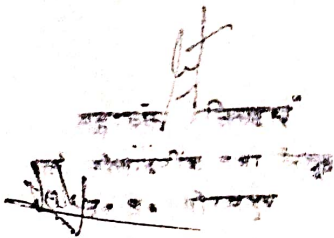
संस्था के वर्ष भर के आय-व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा।

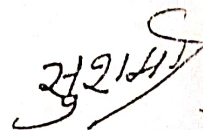
14. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व

अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाले मुकदमों की पैरवी सक्षम न्यायलय में सुलझाये जायेंगे एवं समस्त मुकदमों वाद-प्रतिवादों की पैरवी प्रबन्धक/सचिव के द्वारा किया जायेगा।

15. संस्था के अभिलेख-

1. सदस्यता रजिस्टर 2. कार्यवाही रजिस्टर 3 सूचना रजिस्टर 4. स्टॉक रजिस्टर 5 कैश बुक




Seema Rai.

18. सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के नियम तथा प्रतिबन्ध-

- क- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाय।
- ख- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- ग- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- घ- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/सम्यक् सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- ङ- संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- च- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- छ- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- ज- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा, यदि हो तो कृपया प्रबन्धकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय के विभाग/ शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम क से इ तक स्वीकार हैं।
- झ- उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

19. संस्था का विघटन-

संस्था के विघटन की समस्त कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक.....

सत्यप्रतिलिप

हस्ताक्षर

सीमा राय
Seema Rai.